PTCUL

पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:-hr@ptcul.org

पत्रांकः 1783/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांकः 26.09.2018

कार्यालय ज्ञाप

सचिव (वित्त), उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के आदेश सं0 248/XXVii(7)02/2016 दिनांक 19.09.2018 द्वारा राज्य सरकार के कार्मिकों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षण संस्थानों के कार्मिकों, जिन्हें सातवें पुर्नरीक्षित वेतनमान अनुमन्य है, को अनुमन्य महँगाई भत्ते की दरों का पुर्ननिर्धारण करते हुए दिनांक 01 जुलाई, 2018 से मूल वेतन के 09 (नौ) प्रतिशत की दर से महँगाई भत्ता अनुमन्य किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

दिनांक 01.01.2016 से वेतन/भत्ते पुनरीक्षण विषयक कारपोरेशन के ज्ञाप सं0 1649/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/पी–3 दिनांक 28.11.2017 के तारतम्य में तथा शासन के उक्त आदेश सं0 248/XXVii(7)02/2016 दिनांक 19.09.2018 के अनुक्रम में पावर ट्रॉंसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0 में कार्यरत समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कार्मिकों को दिनांक 01 जुलाई, 2018 से निम्नानुसार संशोधित दर पर महँगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:–

तिथि, जिस दिन से देय है	प्रतिमाह महँगाई भत्ते की दर
01 जुलाई, 2018	वेतन का 09 (नौ) प्रतिशत

2. इस आदेश द्वारा स्वीकृत मंहगाई भत्ते के आंकलन हेतु वेतन का तात्पर्य दिनांक 01.01.2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य मूल वेतन जैसा कि मूल नियम–9 (2)(1) में परिभाषित है, से होगा अर्थात किसी भी प्रकार के विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन या अन्य वेतन को मंहगाई भत्ते हेतु सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

3. इस आदेश द्वारा स्वीकृत/संशोधित मंहगाई भत्ते की दिनांक 01.07.2018 से 30.09.2018 तक (सेवानिवृत एवं 6 माह के अधीन सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को छोडकर) बढ़ी हुई धनराशि को कार्मिकों के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा किया जायेगा।

क्रमशः..............2

4. ई0पी0एफ0 से आच्छादित कार्मिकों को दिनांक 01.07..2018 से 30.09.2018 तक देय मंहगाई भत्ते के एरियर की 12 प्रतिशत धनराशि ई0पी0एफ0 अभिदान के रूप में कटौती करने के पश्चात शेष धनराशि का नगद भुगतान किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिकों द्वारा नगद भुगतान की गयी धनराशि को बाण्ड / एन0एस0सी0 अथवा पी0पी0एफ0 के रूप में निवेशित किया जायेगा।

5. स्वीकृत / संशोधित महँगाई भत्ते की देय धनराशि को गणनाक्रम में निकटतम रूपये तक पूर्णांकित किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को पूरा रूपया माना जायेगा और 50 पैसे से कम धनराशि को शून्य मानकर छोड़ दिया जायेगा।

6. अवकाश नकदीकरण में अनुमन्य मंहगाई भत्ते को उसी प्रकार माना जायेगा जिस प्रकार कार्यावधि (Duty Period) के लिये माना जाता है।

इस आदेशानुसार स्वीकृत / संशोधित मंहगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु महाप्रबन्धक (वित्त) कारपोरेट मुख्यालय, पिटकुल, देहरादून को अलग से प्राधिकार पत्र निर्गत करने की आवश्यकता नहीं है।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक : 1783/ मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 तद्दिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल, देहरादून को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (वित्त) / (परिचालन) / (परियोजना) पिटकुल, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II) / महाप्रबन्धक पिटकुल.......................................।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल............................।
5. उपमहाप्रबन्धक (सूचना एवं प्रौद्योगिकी), पिटकुल, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि विषयगत् आदेश को पिटकुल की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल..।
7. कट फाइल।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)